भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1272**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**बाल विवाह का प्रतिषेध**

**1272. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार बाल विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को स्वतः अवैध नहीं ठहराता है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह सिर्फ बाल दुल्हन और दूल्हे को इसे रद्द करने का विकल्प प्रदान करता है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास में राज्‍य मंत्री

(क) एवं (ख) : जी, हां। भारत सरकार का ‘बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006’ को संशोधित करने का प्रस्‍ताव है। प्रस्‍तावित संशोधन संविदा पक्ष, जो विवाह के समय बालक थे, के विकल्‍प पर बाल विवाह को अमान्‍य करने के बजाय प्रारंभ से ही अमान्‍य घोषित करेंगे।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) के अनुसार कोई भी विवाह, जहां संविदा पक्ष में से कोई भी विवाह के समय बालक था, संविदा पक्ष के विकल्‍प पर अमान्‍य करणीय है, यदि वे वयस्‍क होने पर दो वर्ष के अंदर-अंदर न्‍यायालय से संपर्क करता है।

\*\*\*\*\*\*\*